

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

धरमखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 147081110918042542

Date : 11-09-2018

प्रभावी : 2 2018-2019

श्री/श्रीमती/सुश्री : ATTORNEY BY ANUBHAV KUMAR S/O SHAILENDRA SINGH,
 मोहल्ला : NEAR HARI MANDIR MADA COLONY HIRAPUR DHANBAD DHANBAD
 DHANBAD - 826001
 9312256059

एवम् दवासे आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0260002710000M0 वार्ड सं. 26 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्र.सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	197.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		197.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण का सूची DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website www.dhanbadnagar.com पर पदरहित है।
2. नियमावली के अन्तर्गत आवासीय संस्था जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि वर्षा जल संरक्षण संस्था लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
3. पन्धेक वि.सं. वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान वैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी भी वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान विन्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी दूसरे वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान (पन्धेक तिमाही के अन्तर) या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. घर कर निर्धारण के लिए स्व. निर्धारण पत्र की पूर्ण घोषणा के आधार पर की जा रही है। इस स्व. निर्धारण गृह-घोषणा पत्र की प्रतिलिपि जमा तथा समग्र निगरान कर चुकायी है एवं तुरन्त सम्पत्ती कर निर्धारण करीब 5 दिनों के अन्दर निर्धारण अधिसूचना जारी कर अन्तर्गत सूचित किया जाएगा।
7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा सूचित इस सम्पत्ति कर एवं इमारतों/ढांगों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या नहीं अपने मानिकों/दखतकारों के प्रति कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आप कर निर्धारण सूची का आडिसे अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किन्हे नये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 155613170819061737

Date : 17-08-2019

प्रभावी : 3 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री : LAJWANTI BAKSHI C/O PREM KUMAR SINHA,

मोहल्ला : HIRAPUR MADA COLONY DHANBAD

DHANBAD , 826001

9835102452

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0270000001000M0 वार्ड सं. 27 हुआ है. आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	243.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		243.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, www.jharkhandtsuda.net पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जावेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से रहित पावे।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निदिष्ट समयवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाना जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समब निगम कर सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संयोजित इस सम्पत्ति कर इन इमारती/दांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मानिको / टखलवार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आधिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जावेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print